न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 08 / 2023
दायर दिनांक: 27.06.2023
निर्णय दिनांक 05.05.2026

—: अनवान :—

1. शम्भुलाल पिता मगनलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसगन्द मो. नं. 9460446826
2. नारायणी पत्नि मगनलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला रजसमन्द
3. कैलाश पुत्री मगनलाल जी जाति कुभावत आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थीगण

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद
2. कमलेश पिता सुन्दरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
3. गुड्डी पुत्री सुन्दरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरूजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
4. सानू पुत्री सुन्दरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
5. दूदी पुत्री सुन्दरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
6. पप्पू पुत्री सुन्दरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
7. लक्ष्मी पत्नि रामचन्द्र जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
8. भैरूलाल मुतबन्ना रामचन्द्र जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गर्ल्स स्कूल, छापरिया भैरुजी के पास, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेण्टगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1397 स्वीकृत दिनांक 10.06.2014 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री गोपाल आचार्य रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1397 दिनांक 10.06.2014 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया पटवार हल्का कांकरोली तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में अपीलार्थी व रेस्पोण्डेंट संख्या एक कमलेश, तुलसीबाई, लक्ष्मीदेवी की संयुक्त खातेदारी की भुमि आराजी संख्या 1511/309 स्थित होकर उक्त भुमि में अपीलार्थी का 2/3 हिस्सा व रेस्पोण्डेंट का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित था। जिसके संबध में विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द में बअनवान मगनलाल बनाम कमलेश वगैरा के अनवान से विचाराधीन था जिसके मुकदमा नम्बर 297/2013 राजस्व वाद है। इस वाद के विचारण के दौरान रेस्पोण्डेंट द्वारा उक्त भुमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुऐ स्वीकृत करा भुमि को अपने नाम पर दर्ज करवाया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त भुमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द में अपीलार्थी के पिता द्वारा वाद प्रस्तुत कर रखा है। वाद के विचारण मे मृतक रामचन्द्र के स्थान पर उसकी पत्नि लक्ष्मीदेवी एवं माता तुलसीबाई बेवा सुन्दरलाल पक्षकार थे, स्वयं तहसीलदार राजसमन्द पक्षकार थे जिन्हें इस प्रकरण की जानकारी होते हुए भी रामचन्द्र का विरासत का नामान्तरकरण गलत रूप से गोदनामे के आधार पर स्वीकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में भैरूलाल को कभी गोद नहीं रखा है न ही भैरूलाल के पक्ष में कोई गोदनामा निष्पादित किया है। रामचन्द्र की मृत्य के बाद रेस्पोण्डेंट संख्या दो कमलेश ने अपने पुत्र भैरूलाल के नाम भुमि दर्ज कराने के उद्येश्य से फर्जी रूप से गोदनामा तैयार किया है। रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 25.10. 2013 के गोदनामे को आधार बना कर यह नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जो प्रथम दृष्टया ही रिकार्ड से फर्जी होना प्रमाणित है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरने से पूर्व विरासत की जॉच ही नहीं की गई है न ही सजरा प्रमाणित कराया गया है यहाँ तक कि सजरा बनाया ही नहीं गया है। उक्त विरासत का नामान्तकरण में रामचन्द्र के वारिस के रूप में फर्जी रूप से भैरूलाल को गोद पुत्र बताया है तथा रामचन्द्र के वास्तविक वारिस माता तुलसीबाई के जीवित होते हुऐ भी उसका नाम उक्त नामान्तकरण में दर्ज ही नहीं हुआ है इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण में प्रथम श्रेणी के वारीसान का नामान्तकरण न तो दर्ज किया गया है न ही स्वीकृत किया गया है। बल्कि प्रथम श्रेणी के वारीसान माता तुलसीबाई के स्थान पर कमलेश ने अपने पुत्र भैरूलाल का फर्जी गोदनामा तैयार कर तुलसी बाई के स्थान पर अपने पुत्र भैरूलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया है जो स्पष्ट रूप से फर्जी प्रमाणित हो रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भैरूलाल रामचन्द्र का वारिस उत्तराधिकारी नहीं है जिसकी पुष्टि न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द में अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन प्रकरण संख्या 297/2013 बअनवान मगनलाल बनाम कमलेश वगैरा में प्रतिवादी कमलेश, तुलसीबाई व लक्ष्मीदेवी द्वारा प्रस्तुत जवाब से होती है। यदि रामचन्द्र के वारिस के रूप में भैरूलाल होता तो जवाबदेही में इसका उल्लेख होता। यहाँ तक कि यदि वह खातेदार भी होता तो उसका उल्लेख भी वर्ष 2019 के जवाब दावे में किया जाता। जिससे यह प्रमाणित होता है कि सम्पूर्ण फर्जीवाडा करते हुऐ यह कृत्य किया गया है। रेस्पोण्डेंट भैरूलाल रामचन्द्र का वारीसान उत्तराधिकारी नहीं है इस बात की पुष्टि भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहाँ पर प्रस्तुत अपील कमलेश बनाम मगनलाल वगैरा प्रकरणसंख्या सन् 2014 से होती है। जिसमें अपीलार्थी सुन्दरलाल के वारिस के रूप में कमलेश, लक्ष्मीदेवी व तुलसीबाई द्वारा ही अपील पेश की गई हैं। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं बताया गया है। यदि भैरूलाल रामचन्द्र का वारिस होता तो उक्त अपील में वह पक्षकार होता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सुन्दरलाल के अन्य वारीसान दूदी, गुड्डी, सानु पप्पू द्वारा भी राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ पर अपील प्रस्तुत नहीं की है न ही कमलेश वगैरा द्वारा उक्त अपील में इन्हें वारीसान बताते हुऐ पक्षकार बनाया है। जिससे यह प्रमाणित है कि सुन्दरलाल के वारीस के रूप में एवं रामचन्द्र के वारिस के रूप में यह रेस्पोण्डेंट नहीं रहे है। इससे पूर्व पटवारी हल्का कांकरोली ने अपीलार्थी की बेजानकारी में रेस्पोण्डेंट से मिलीभगत करते हुऐ राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 का उल्लेख करते हुए नामान्तरकरण संख्या 399 को दिनांक 06.10. 2017 को निरस्त करने का अंकन किया गया है जबकि राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 11.09.2017 को जो निर्णय पारित किया था वह अपीलार्थी की रेस्पोण्डेंट द्वारा कराई गई फर्जी तामील के आधार पर एक पक्षीय निर्णय से आदेश पारित करवाया गया था साथ ही उक्त आदेश के जरिये नामान्तकरण संख्या 399 को निरस्त करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया है बल्कि प्रकरण को नये सिरे से निर्णित करने के लिए रिमाण्ड किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 11.09.2017 की जानकारी होने पर अपीलार्थी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहाँ पर अपील संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

02/2018 प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश दिनांक 11.09.2017 को राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर से ही अपास्त करवाया गया था तथा इस संबध में अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजसमंद के यहाँ पर राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 19.10.2018 की पालना करने के लिए दिनांक 12.11.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का एवं राजस्व अधिकारी रेस्पोण्डेंट से मिले हुऐ थे इसलिए उन्होनें राजस्व अपील अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुऐ अपील के पूर्वाधिकारी के नाम पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 399 को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त करने का आदेश नहीं होते हुऐ भी निरस्ती का उल्लेख करते हुऐ उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने के उद्येश्य से यह समस्त फर्जीवाडा किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तकरण संख्या 399 को निरस्ती का अंकन का आदेश दिनांक 16.10.2017 को तहसीलदार राजसमंद द्वारा जारी किया जाता है और उसकी पालना में निरस्ती का अंकन दिनांक 16.10.2017 को किया जाना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है क्योंकि अंकन के पश्चात् इसकी पुष्टि स्वरूप तहसीलदार के हस्ताक्षर किया जाना कानूनन आवश्यक है जो एक दिन में सम्भव नहीं है। दिनांक 16.10.2017 की तहरीर पटवारी हल्का के पास दिनांक 16.10.2017 को पहुँची ही नहीं थी। नामान्तरकरण में यह अंकन हुआ ही नहीं जो पटवारी हल्का कांकरोली द्वारा तत्पश्चात् जारी प्रमाणित प्रतिलिपी से प्रमाणित होता है। फिर भी पटवारी हल्का ने अपने पास उपलब्ध जमाबंदी में हेराफेरी करते हुए तहसीलदार के आदेश का उल्लेख करते हुए दिनांक 16.10.2017 को ही नामान्तकरण भर दिया गया। उक्त नोट के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा सुन्दरलाल के वारिस के रूप में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को आधार बताया और भुमि रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत आठ व तुलसीबाई के नाम पर दर्ज की गई जबकि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उस आदेश को सुन्दरलाल के वारिस क रूप में केवल कमलेश, लक्ष्मीदेवी तथा तुलसीबाई ही अपीलार्थी थे। पटवारी हल्का द्वारा आदेश को आधार अवश्य बनाया लेकिन पटवारी हल्का ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर सुन्दरलाल का वारिस होना बताते हुए नामान्तरकरण उनके नाम भी दर्ज कर लिया गया। इस प्रकार जिस आदेश का उल्लेख किया गया है उसके विपरित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का एवं राजस्व अधिकारियो की मिलीभगत होना प्रमाणित है। गोदनामे के आधार पर नामान्तरकरण कानूनन बिना जाँच के स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भैरूलाल ने अपने आपको सिविल न्यायालय से गोद पुत्र घोषित कराने के लिए कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण अवैद्य व शुन्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.06.2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भुमि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल आचार्य ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। उसके बाद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 08.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया पटवार हल्का कांकरोली तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में अपीलार्थी व रेस्पोण्डेंट संख्या एक कमलेश, तुलसीबाई, लक्ष्मीदेवी की संयुक्त खातेदारी की भुमि आराजी संख्या 1511/309 स्थित होकर उक्त भुमि में अपीलार्थी का 2/3 हिस्सा व रेस्पोण्डेंट का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित था। जिसके संबध में विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द में बअनवान मगनलाल बनाम कमलेश वगैरा के अनवान से विचाराधीन था जिसके मुकदमा नम्बर 297/2013 राजस्व वाद है। इस वाद के विचारण के दौरान रेस्पोण्डेंट द्वारा उक्त भुमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुऐ स्वीकृत करा भुमि को अपने नाम पर दर्ज करवाया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। तहसीलदार राजसमंद के यहाँ पर राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 19.10.2018 की पालना करने के लिए दिनांक 12.11.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का एवं राजस्व अधिकारी रेस्पोण्डेंट से मिले हुऐ थे इसलिए उन्होनें राजस्व अपील अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुऐ अपील के पूर्वाधिकारी के नाम पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 399 को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त करने का आदेश नहीं होते हुऐ भी निरस्ती का उल्लेख करते हुऐ उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने के उद्येश्य से यह समस्त फर्जीवाडा किया है। गोदनामे के आधार पर नामान्तरकरण कानूनन बिना जाँच के स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भैरूलाल ने अपने आपको सिविल न्यायालय से गोद पुत्र घोषित कराने के लिए कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत किया गया नामान्तकरण अवैद्य व शुन्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.06.2014 को अपास्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

फरमाया जावे तथा उक्त भुमि अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1397 दिनांक 10.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस अपील में मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री रामचंद्र पिता श्री सुंदरलाल की मृत्यु होने पर उनकी भूमि खाता संख्या 89 गलत रूप से भैरूलाल को उनका गोद पुत्र बताते हुए दर्ज कर दी गई तथा उनके साथ रामचंद्र की पत्नी के नाम दर्ज कर दिए गए। जबकि जब नामांतरण खोला गया, तब श्री रामचंद्र की माता तुलसी बाई जीवित थीं, फिर भी उनका नाम उक्त नामांतरण में दर्ज नहीं हुआ। तथा श्री रामचंद्र ने अपने जीवनकाल में भैरूलाल को कभी गोद नहीं लिया और न ही उनके पक्ष में कोई गोदनामा निष्पादित किया। रामचंद्र की मृत्यु के बाद, रेस्पोंडेंट संख्या 02 श्री कमलेश ने अपने पुत्र भैरूलाल के नाम भूमि दर्ज कराने के उद्देश्य से फर्जी रूप से गोदनामा तैयार किया गया और इसके आधार पर यह नामांतरण स्वीकृत करा लिया गया हैं। पत्रावली में एक पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत किया गया है। जो कि स्वर्गीय श्री रामचंद्र की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा श्री कमलेश पिता श्री सुंदरलाल द्वारा पंजीकृत कराया गया है। इस पंजीकृत गोदनामे में श्री कमलेश के पुत्र श्री भैरूलाल को गोदग्रहिता श्रीमती लक्ष्मी देवी ने श्री रामचंद्र तथा उनके गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। यह स्पष्ट है कि यह गोदनामा श्री रामचंद्र की मृत्यु के बाद निष्पादित किया गया है। जो कि गोददाता व गोदग्रहिता के मध्य निष्पादित किया गया हैं। किसी भी गोदनामा के आधार पर संपत्ति में अधिकारों का उत्पन्न होना एक सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विचारण का विषय है। ऐसी स्थिति में इस गोदनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इस कानूनी बिंदु की पुष्टि माननीय राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने दिए गए निर्णयों में की गई है। तथा नामान्तरकरण के समय यदि श्री रामचंद्र की माता श्रीमती तुलसी बाई जीवित थीं, तो हिंदू विधि के अनुसार, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में उनका भी नाम आना चाहिए था। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए गए विवादित नामांतरकरण संख्या 1397, दिनांक 10.06.2014 में यह न्यायालय दो प्रकार की विधिक त्रुटियों को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में विधिक त्रुटियों के आधार पर स्वीकृत किए गए विवादित नामांतरण को निरस्त किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1397 दिनांक 10.06.2014 को विधिक त्रुटियों के आधार पर स्वीकृत किए गए विवादित नामांतरण को निरस्तं किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के विधिक उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद